रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122021-232058
CG-DL-E-22122021-232058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
No. 657]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(2).— जबकि मेसर्स पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टिटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016 है, ने पारेषण योजना "चरण-II -पार्ट ए के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/12206/2020 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा पारेषण योजना "चरण-II -पार्ट ए के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना" के लिए मेसर्स पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पी.आर.टी.एल ने स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 12 जून -18 जून, 2021 को, प्रकाशित किया गया था । जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स पी.आर.टी.एल ने 12.08.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "चरण-II -पार्ट ए के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं –

1. रामगढ़ II फतेहगढ़) III – .एस.पी (फतेहगढ़ II पी 400 .एस.के.वी डी सी लाइन/
2. रामगढ़ II फतेहगढ़) III जैसलमेर - .एस.पी (II 400 (आरवीपीएन) के.वी डी सी लाइन/

स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी.

लाईन रामगढ़ :II (फतेहगढ़ III) पी.एस. – फतेहगढ़ II पी.एस. 400 के.वी डी सी लाइन/		
राज्य: राजस्थान		
गावों के नाम	**तहसील**	**ज़िला**
भोगनियाई, सादि की ढाणी, रावड़ीचक, मेघवालों की ढाणी, मण्डाई, निम्बा, लखासर, साजित, भियासर, लाभूराम की ढाणी, रिवड़ी, विन्जोराई(फतेहगढ़), फतेहगढ़, नेन्सर, कर्मसर, सांगड, उंडा, भिलाणी, शिव सागर, लखमणा, पुना सर, ईस्माईल की ढाणी, ईब्बू की ढाणी(अमरपुरा), अमरपुरा, केहर फकीर की ढाणी, सांवता, जिंदे की ढाणी, भोपा, देवीकोट	फ़तेहगढ़	जैसलमेर

लाईन रामगढ़ :II (फतेहगढ़ III) पी.एस. - जैसलमेर II (आरवीपीएन) 400 के.वी डी सी लाइन/		
राज्य: राजस्थान		
गावों के नाम	**तहसील**	**ज़िला**
सादि की ढाणी, भोगनियाई, रावड़ीचक , मेघवालों की ढाणी, मण्ड़ाई, निम्बा, साजित, जाटों की ढाणी, लखासर, मुरद की ढाणी, लाभुराम की ढाणी, भियासर, सांधुवा, विन्जोराई(फतेहगढ़), फतेहगढ़, लोरडियासर, सांढा, रन्छोड की ढाणी, कोड़ियासर, लक्ष्मणसर, रामसर, बुली की ढाणी, पबनासर, भीन्न की ढाणी, मेहरेरी, लोर्रियाँ, डांगरी, खोखरों की ढाणी, भीलों की ढाणी, सुथारों की ढाणी, समेलनगर	फ़तेहगढ़	जैसलमेर
अमरसर, भैंसड़ा, मधुसिंह की ढाणी, राजगढ़, जोगायातों की ढाणी, खांगरसिंह की ढाणी, संग्रामसिंह की ढाणी, बाहलाबस्ती, बेतिना	पोकरण	जैसलमेर
माधो की ढाणी, भोरा सर, बनयारा, माताजी का डूंगर, खवारियों की ढाणी	शिव	बाड़मेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित

टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन वर्षों के लिए प्रदान 25 किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों संहिताओं का पालन करना होगा।/

(iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षकमुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन / करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) मेसर्स पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

(vii) मेसर्स पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 838 की रिट याचिका संख्या 2019 मामले के संबंध में (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) जीआईबी 19.04.2021, 2020के आईए नंबर का पालन करना होगा। 85618

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2021-22]

वी.के. मिश्रा, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 17th, November, 2021

F.No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(2).—Whereas M/s Powergrid Ramgarh Transmission Limited (a 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Ltd), the applicant with its registered office at B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-A".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/12206/2020 dated 05.11.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Powergrid Ramgarh Transmission Limited for the transmission scheme "Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-A".

M/s PRTL has published notice for transmission scheme in local newspapers and in The Gazette of India, dated June 12—June 18, 2021, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s PRTL has submitted an affidavit dated 12.08.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-A". The following overhead lines are covered under this scheme:

1. Ramgarh II (Fatehgarh III) PS – Fatehgarh II PS 400 kV D/C line
2. Ramgarh II (Fatehgarh III) PS – Jaisalmer II (RVPN) 400 kV D/C line

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, town & cities.

Line: Ramgarh-II (Fatehgarh III) PS - Fatehgarh-II PS 400 kV D/C Transmission line.

STATE: RAJASTHAN		
Villages Name	Tehsil	District
Boghniyai, Sadi Ki Dhani, Rawarichak, Meghwalon Ki Dhani, Mandai, Nimba, Lakhasar, Sajit, Bhiyasar, Labhuram Ki Dhani, Rivri, Vinjorai(Fatehgarh), Fatehgarh, Nensar, Karmsar, Sangar, Unda, Bhilani, Shiv Sagar, Lakhmana, Puna Sar, Ismail Ki Dhani, Ibbu Ki Dhani(Amarpura), Amarpura, Kehar Fakir Ki Dhani, Sanwata, Jinde Ki Dhani, Bhopa, Devikot	Fatehgarh	Jaisalmer

Line: Ramgarh-II (Fatehgarh III) PS - Jaisalmer-II (RVPN) 400 kV D/C Transmission Line.

STATE: RAJASTHAN		
Villages Name	Tehsil	District
Sadi ki Dhani, Boghniyai, Rawarichak, Meghwalon ki Dhani, Mandai, Nimba, Sajit, Jaton ki Dhani, Lakhasar, Murad ki Dhani, Labhuram Ki Dhani, Bhiyasar, Sandhuwa, Vinjorai(Fatehgarh), Fatehgarh, Lordiyasar, Sandha, Ranchhor Ki Dhani, Kodiasar, Laxmansar, Ramsar, Buli ki Dhani, Pabnasar, Bhibn Ki Dhani, Mehreri, Lorriyan, Dangri, Khokhron ki Dhani, Bhilon ki Dhani, Sutharon ki Dhani, Samelnagar	Fatehgarh	Jaisalmer
Amarsar, Bhainsara, Madhusingh ki Dhani, Rajgarh, Jogayaton ki Dhani, Khangarsingh ki Dhani, Sangramsingh ki Dhani, Baahalabasti, Betina	Pokaran	Jaisalmer
Madho ki Dhani, Bhora sar, Banyara, Mataji ka Dungar, Khavariyon ki Dhani	Sheo	Barmer

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Powergrid Ramgarh Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Powergrid Ramgarh Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

(vii) M/s Powergrid Ramgarh Transmission Limited would have to comply with the Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

[ADVT.-III/4/Exty./520/2021-22]

V.K. MISHRA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.22 15:43:49 +05'30'